VISION IAS

www.visionias.in

RECEIVED
No. 3 07 SEP 2022 M
VISION IAS

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1839)

Name of Candidate	BAJRANG PRASAD		
Medium Eng./Hindi	HINDI	Registration Number	578292
Center	MN	Date	07-09-2022

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. An independent umbrella body that brings the various central investigative agencies under one roof holds the key to shoring up their credibility. Discuss. **(150 words) 10**

एक स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय जो विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों को एक छत के नीचे लाता हो, उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाने की कुंजी है। विवेचना कीजिए।

जाँच एजेंसियाँ योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई धाँधली, भ्रष्टाचार का खुलासा करके अपराधी को दण्डित कराकर सुशासन को स्थापित करने में सहायता करती हैं।

स्वतंत्र अम्बेला निकाय की आवश्यकता-

एजेंसियों में समन्वय - जिससे बेहतर लक्ष्य निर्धारण एवं कुशलता स्थापित होगी.

कार्यप्रणाली में पारदर्शिता- CBI की सांविधिक स्थिति न होने के कारण इसके 'सरकारी दुरुपयोग' का खतरा बना रहता है। वर्तमान में विपक्षी दलों द्वारा लगाया जा रहा कथित आरोप,

एजेंसियों के सदस्यों की नियुक्ति स्थानान्तरण में

सरकारी हस्तक्षेप की कमी - इससे उनकी स्वायत्तता बढ़ेगी।

→ तकनीकी का प्रयोग बढ़ाना - साइबर अपराध के बदलते स्वरूप की जाँच करने में।

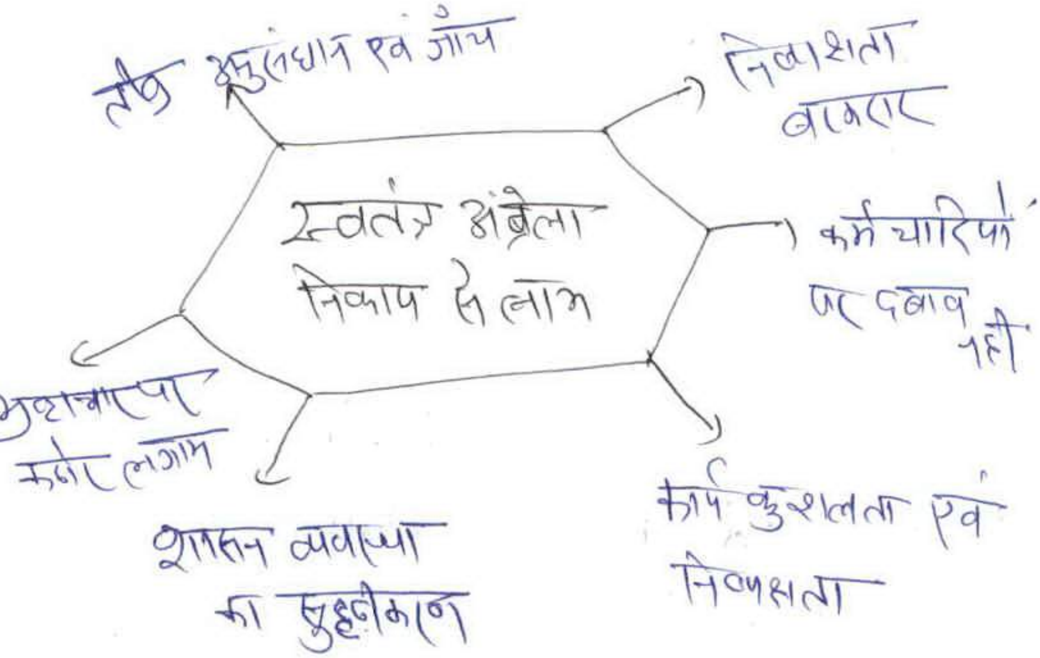

वर्तमान लोकतांत्रिक राष्ट्र में जाँच एजेंसियों की स्वायत्तता अति महत्वपूर्ण है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Discuss the significance of the Doctrines of Pith and Substance and Colourable Legislation with respect to Centre-state relations in India.

(150 words) 10

भारत में केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में तत्व एवं सार के सिद्धांत और छद्म (आभासी) विधायन के सिद्धांत के महत्व की विवेचना कीजिए।

भारतीय संघवाद की प्रकृति 'सहकारी संघवाद' का बेहतरीन उदाहरण है। (ग्रेनविल ऑस्टिन)

तत्व एवं सार का सिद्धांत का महत्व-

सुप्रीम कोर्ट ने अपने वाद में शक्तियों के पृथक्करण (अनु० 50) के तहत राज्य एवं संघ सूची के विषयों (अनुसूची-7) का स्पष्टतापूर्वक संविधान की भावना के अनुसार निर्धारण का प्रयास करता है।

महत्व
- संविधानवाद की भावना का बने रहना
- राज्यों की स्वायत्तता बनी रहती है।
- केन्द्र द्वारा राज्य के विषय में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं
- राज्य अपने हितों के संरक्षण में सशक्त

छद्म विधायन का सिद्धांत - इसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी निषेधित विधि को अप्रत्यक्ष तरीके से लागू करने पर भी रोक लगाता है।

छद्म विधायन का महत्व

- कार्यपालिका की जवाबदेही को बनाए रखना
- जन अधिकार को निषेधित करने वाली अवैध विधियों का निर्माण नहीं
- न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों एवं संविधान का संरक्षण
- संसद की असीमित शक्ति को सीमित करना

हाल में कृषि कानून (राज्य सूची विषय), स्वास्थ्य आदि पर केन्द्र के कदम से टकराव बढ़ा था।

उपर्युक्त सिद्धांत भारतीय संसदीय परंपरा को मूल रूप में बनाए रखने में मददगार है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Do you agree with the view that there should be simultaneous elections to the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies in India? Discuss with suitable arguments. **(150 words) 10**

क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ होने चाहिए? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए।

हाल में एक बार फिर निर्वाचन आयोग (पहले विधि आयोग भी) ने एक साथ चुनाव की उपयोगिता पर चर्चा को आमंत्रित किया है।

जन प्रतिनिधित्व अधि० 1951 लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के आयोजन की कार्यप्रणाली का उल्लेख करता है।

एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता

- → 1967 तक एक साथ ही होता था अतः यह प्रक्रिया स्वतंत्र भारत में संचालित थी
- समय, धन एवं मानव संसाधन की बचत एवं उनका सार्थक उपयोग संभव ←
- → वर्ष भर कहीं न कहीं चुनाव होता है जिससे योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित
- इसमें लोग चुनावी मूड में → साम्प्रदायिकता एवं तनाव को बढ़ावा ←
- → बार-2 आचार संहिता नागरिक कार्यों को बाधित उत्पादकता↓ => आर्थिक वृद्धि प्रभावित
- शिक्षक का अन्यत्र ड्यूटी => शिक्षण प्रभावित ←
- → सुरक्षा बलों का स्थानांतरण

1839
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

एक साथ चुनाव सिस्टम

- → संघीय ढांचा को स्थिरता
- → प्रशासकता बढ़ेगी ⇓ आर्थिक वृद्धि ↑
- → संसाधनों का इष्टतम उपयोग
- → वर्तमान की आवश्यकता
  - स्थिर एवं शांतपूर्ण माहौल

समस्याएँ

- → केन्द्रीय सरकारों (दलों) का राज्यों में प्रभाव पड़ने की आशंका
- → मतदान आकृति प्रभावित होने की आशंका
- → क्षेत्रीय हित बनाम राज्य हित
- → संविधान एवं RPA, 1951 में संशोधन की जरूरत (368 के तहत आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी जरूरी)

इन मुद्दों को सभी हितधारकों के साथ बैठकर सुलझाया जाना चाहिए जिससे सर्वसम्मतिपूर्ण परिणाम निकले।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Discuss the need for codification of parliamentary privileges in India, in light of the uncertainty and ambiguity around them. **(150 words) 10**

भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में अनिश्चितता और अस्पष्टता के आलोक में, उनके संहिताकरण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

भारतीय संविधान का अनु 105 एवं अनु 194 संसद एवं विधानमंडलों के सदनों, सदस्यों एवं समितियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेषाधिकार प्रदान करता है।

संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में अनिश्चितता एवं अस्पष्टता -

- वाक् एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का स्पष्ट, परिभाषित एवं विस्तारपूर्वक उल्लेख नहीं।
- इसे न्यायालय ग्रामक से सुरक्षा है।
- सदस्यों की गिरफ्तारी (सत्र के दौरान) पर अस्पष्ट प्रावधान; जीवहीन अधिकारों पर छोड़ा गया है। हाल में एक सांसद पर जाँच एजेंसियों ने उपस्थित हेतु समन भेजा था।
- दीवानीन अधिकारों की शक्ति का क्षेत्र एवं विस्तार परिभाषित नहीं;

• सामान्यतः सदस्यों द्वारा व्यवधान एवं अपमानजनक शब्दों का उपयोग

संहिताकरण की आवश्यकता

- प्रावधानों के स्पष्टीकरण
- स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन का उल्लेख
- पीठासीन अधिकारी की शक्तियों का स्पष्टीकरण
- सदन की चर्चा गुणवत्ता एवं गरिमा बनाए रखना
- अनावश्यक व्यवधान पर रोक हेतु उपाय
- समितियों की दक्षता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु

वर्तमान में संहिताकरण की आवश्यकता है क्योंकि भविष्य में (2031 जनगणना के बाद) सदस्यों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होनी संभावित है।

5. While the Civil Services Board can be a step forward in making the Indian bureaucracy more effective, it has its own issues which need to be addressed. Analyse. **(150 words) 10**

हालांकि, सिविल सेवा बोर्ड भारतीय नौकरशाही को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अग्रणी कदम हो सकता है, लेकिन इसके अपने मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। विश्लेषण कीजिए।

भारत सरकार के अधीन सिविल सेवा बोर्ड नौकरशाही के मामलों में निर्णय, सुधार आदि संबंधी प्रमुख संस्थान है।

सिविल सेवा बोर्ड का नौकरशाही को प्रभावी बनाने में भूमिका-

→ कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह बनाने हेतु नियम निर्धारण

→ आचरण संहिता निर्माण में,

→ प्रशिक्षण, नियुक्ति के दौरान पाठ्यक्रम एवं आधुनिक प्रवृत्तियों का समावेश,

→ उद्योग 4.0 के अनुरूप ई-शासन को बढ़ावा

→ लोकसेवकों के गुणात्मक सेवा प्रदान करने पर पुरस्कार आदि हेतु सरकार से अनुशंसा

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

सिविल सेवा बोर्ड की चुनौतियाँ -

→ बोर्ड में केवल नौकरशाहों की ही अधिकता
⇓
विशेषज्ञ की कमी

→ बैठकों में कार्ययोजनाओं का सुचारु कार्यान्वयन नहीं;

→ राज्यों के साथ तालमेल प्रभावित
⇓
अधिकांश लोक सेवक राज्यों में ही सेवाएँ देते हैं।

→ उत्तम विधियों का निर्माण नहीं;

→ लालफीताशाही प्रवृत्ति।

सिविल सेवा बोर्ड -

मिशन कर्मयोगी, सिविल सुधार के साथ भारत के 'अमृत काल' का आधार निर्मित कर सकती है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Highlight the potential of India Digital Ecosystem Architecture (IndEA) 2.0 in transforming the ecosystem of service delivery in India. **(150 words) 10**
भारत में सेवा वितरण के पारितंत्र को रूपांतरित करने में इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर (IndEA) 2.0 की क्षमता पर प्रकाश डालिए।

ई-शासन के दौर में सेवाओं के अधिकाधिक लक्षित वितरण एवं पारदर्शिता हेतु IndEA 2.0 महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

IndEA.2.0 की सेवा वितरण रूपांतरण में भूमिका-

→ लाभार्थी का चयन-
- इन्क्लूजन एवं एक्सक्लूजन त्रुटि में सुधार
- आधार द्वारा प्रमाणीकरण

→ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा रिसाव में कमी

→ योजनाओं के आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया -
PM किसान, पेंशन आदि
- जनसमर्थ पोर्टल द्वारा 13 प्रकार के ऋण की एक साथ व्यवस्था

→ ऑनलाइन शिकायत एवं फीडबैक-
- Online FIR; जन सुनवाई आदि

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ मांग आधारित सेवा मॉडल –
• दिल्ली सरकार द्वारा 'दरवाजे' पर
e-सेवा प्रदान करना
→ नए उभरती सेवाएँ –
• दूरस्थ शिक्षा ; ई-शिक्षा, स्वयं आदि
• टेली मेडिसिन
→ किसानों को जागरूकता, मौसम एवं
→ मत्स्य पालकों को पूर्व निवारक रखना
→ पारदर्शिता बढ़ाने में –
ऑनलाइन RTI उपलब्ध करना
→ डिजिटल घनत्व बढ़ाना
→ शासन के प्रत्येक स्तर पर डिजिटल तकनीक का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना.

IndEA 2.0 भारत के सुशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. What is Civil Registration System? Highlight its importance and discuss the measures taken by the government to bring about improvements in it.
(150 words) 10

नागरिक पंजीकरण प्रणाली क्या है? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए और इसमें सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा कीजिए।

भारतीय रजिस्ट्रार जनरल द्वारा संचालित यह नागरिकों के डेटाबेस (जन्म, मृत्यु, प्रवास आदि) का रिकॉर्ड रखने वाली प्रणाली है।

→ आँकड़ों का विवरण उपलब्ध होने से जनसांख्यिकी में परिवर्तन का वास्तविक अनुमान

नागरिक पंजीकरण प्रणाली के महत्व

- नीति निर्माण में आंकड़ों का उपयोग और- महिला संबंधित प्रभाव की स्थिति, कन्या भ्रूण हत्या
- एकीकृत तंत्र में पूरे भारतवर्ष में उपलब्धता
- कोविड महामारी में PM केयर्स द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए डेटा का प्रयोग और- अनाथ हुए बच्चे
- स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, प्रवास आदि के सुधार को वास्तविक एवं प्रभावी कदम उठाने में जरूरी इनपुट

सुधार हेतु सरकार द्वारा प्रयास

- आंकड़ों के समुच्चय का विस्तार करना जैसे - कोविड के दौरान विभिन्न आंकड़े
- ग्राम स्तर पर सूचना संग्रहण की व्यवस्था का प्रयास
- अस्पतालों द्वारा डेटा प्रदान करने की अनिवार्यता

सुधार आवश्यकता

- ग्रामीण स्तर पर डिजिटल अपडेशन की व्यवस्था हो
- आशाकर्ताओं को सक्षम बनाया जाये

भारत के वृहद आबादी के वास्तविक एवं परिशुद्ध नीति निर्माण में एक सक्षम एवं पुष्ट नागरिक पंजीकरण प्रणाली की तत्काल आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013, provides an effective mechanism for empowerment of the intended beneficiaries in the society. Critically discuss. **(150 words) 10**

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 समाज में इच्छित लाभार्थियों के सशक्तीकरण के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

भारतीय संविधान का अनु॰ 21 भारत के प्रत्येक निवासी को स्वस्थ एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। इसी आलोक में उपरोक्त एक्ट पारित हुआ।

मैला प्रतिषेध अधिनियम की विशेषताएँ एवं सशक्तिकरण में योगदान -

→ हाथ से मैला धोने पर रोक,
→ ऐसे लोगों के समुचित पुनर्वास की व्यवस्था,
→ सरकार द्वारा इन कर्मियों के नियोजन की व्यवस्था

⇓

(लाभ) → हाथ से मैला उठाने के मामले लगभग समाप्ति की ओर
→ NGO एवं अद्द संगठनों की मदद से रोजगार आदि की व्यवस्था
→ गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में प्रयास.

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

विद्यमान चुनौतियाँ -

→ अभी भी भारत में (सीवर साफ) करने वाले श्रमिकों की मौत,

→ रोजगार उपलब्धी का निम्न स्तर

→ निम्न जीवन स्तर

पूंजी एवं कौशल के अभाव में नाली एवं सीवर के काम करने को आकिशप्त

→ सरकार द्वारा अपुष्ट मौद्रिक सहायता नहीं,

→ PM-आवास योजना आदि का वांछित लाभ नहीं

इसके लिए हमें व्यापक स्तर पर

समावेशी नीति | योजना निर्माण | कौशल सृजन | पुनर्वास की उचित व्यवस्था

आदि द्वारा व्यापक ध्यान करना चाहिए जिससे विकास में उनकी उचित भागीदारी हो सके।

9. Discuss the reforms that must be undertaken to strengthen the World Trade Organisation in order to address the vulnerabilities in the present global trading system. **(150 words) 10**
वर्तमान वैश्विक व्यापार प्रणाली में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन को सुदृढ़ करने हेतु उस पर किए जाने वाले सुधारों की विवेचना कीजिए।

उरुग्वे दौर के बाद 1995 में स्थापित विश्व व्यापार संगठन दुनिया में अबाध व्यापार एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा द्वारा विकसित एवं विकासशील, LDC राष्ट्रों के हितों को साधने का प्रयास करता है।

वर्तमान वैश्विक व्यापार प्रणाली में कमियाँ -

① संरक्षणवाद की बढ़ती प्रवृत्ति -

- विभिन्न द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समझौते - जैसे - RCEP, TPP, अफ्रीका FTA आदि
- चीन - अमेरिका (U.S) के मध्य ट्रेड वार
- ईरान, रूस पर एकतरफा प्रतिबंध

⇓

वैश्विक आपूर्ति बाधित ⇒ महंगाई ↑

② अनिवार्य लाइसेंसिंग / IPR सुधार -

- कोविड में टीका का समतापूर्ण वितरण नहीं,

3). खाद्य सुरक्षा हेतु 'पीस क्लाज' को प्रोत्साहित बनाना

4). मत्स्य एवं कृषि सब्सिडी का मुद्दा

5). जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं व्यापार पद्धतियाँ (SDG-13)

6). उत्तर-दक्षिण की बढ़ती खाई को बढ़ाना

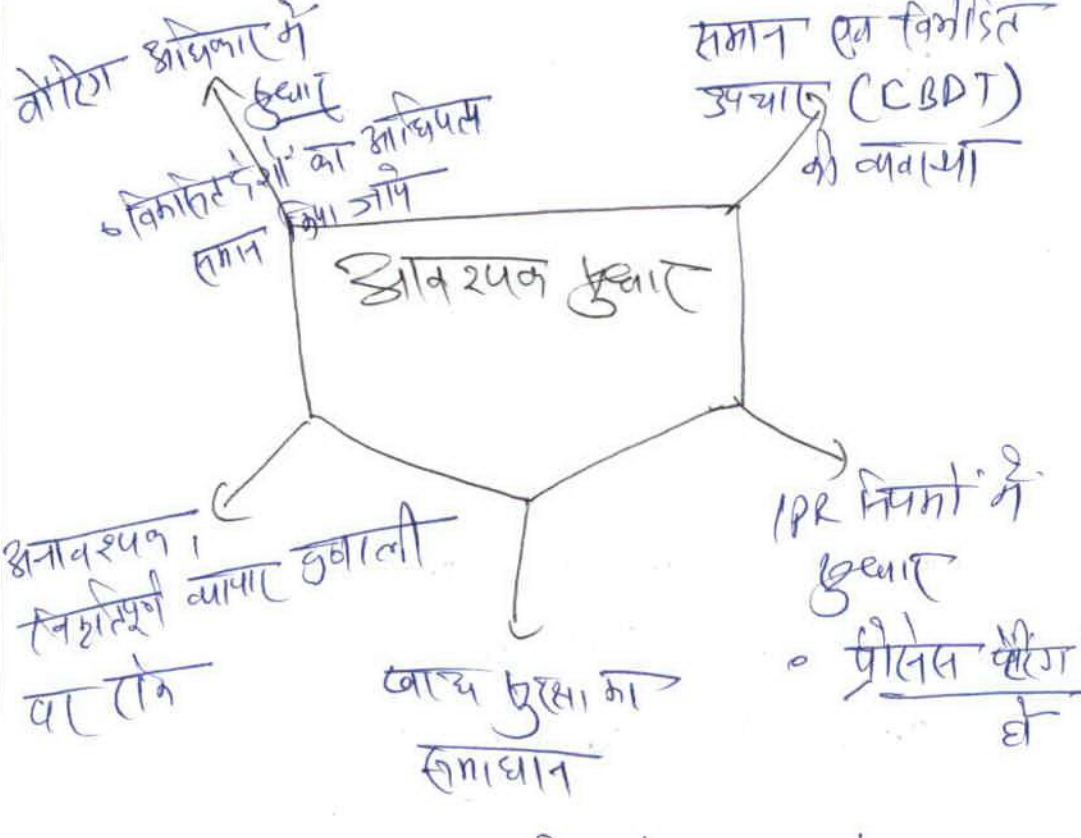

WTO की वैधता एवं समतापूर्ण व्यवहार दुनिया में व्यापार सुधार बढ़ाएगा। हालिया WTO सम्मेलन पुनः बगैर किसी स्थायी निर्णय के सम्पन्न हुआ।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. State the significance of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Also, discuss the need for a legally binding Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ) agreement.

(150 words) 10

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के महत्व का उल्लेख कीजिए। साथ ही, कानूनी रूप से बाध्यकारी राष्ट्रीय अधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता (BBNJ) समझौते की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

UNCLOS दुनिया में समुद्र तटीय राष्ट्रों के अधिकारों को निर्धारित एवं समुद्री संसाधनों के इष्टतम दोहन हेतु 'रूल ऑफ लॉ' स्थापित करता है।

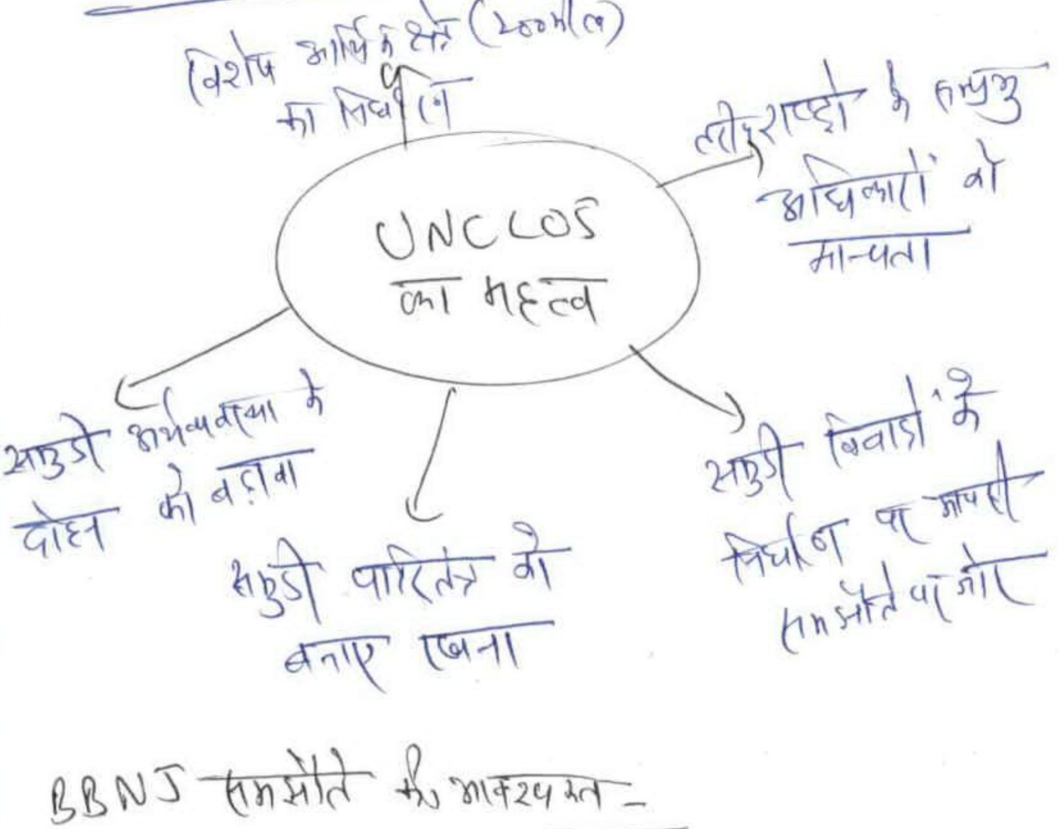

BBNJ समझौते की आवश्यकता -

→ अवैध, अनियमित एवं अनियंत्रित समुद्री खनन - EEZ के बाहर राष्ट्रों द्वारा

खनन, मत्स्यन जैवविविधता एवं पारितंत्र को प्रभावित कर रहा है।

→ जलवायु परिवर्तन - जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक जलमार्गों के तरफ राष्ट्रों की बढ़ती होड़

→ सामूहिक आर्कटिक एवं अंटार्कटिक के संरक्षण में - इनका अनियमित दोहन दुनिया में जलवायु परिवर्तन की तीव्रता को बढ़ाएगा.

→ प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव, मत्स्य आदि को समुद्री तेल रिसाव, जहाजों आदि से संरक्षण हेतु;

US, चीन आदि को UNCLOS में क्रमशः शामिल कराते एवं विधि पालन सुनिश्चित कराते हुए BBNJ की व्यवहार्यता पर विचार होना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Critically assess the role played by the National Human Rights Commission as a watchdog of human rights violations in India. **(250 words) 15**

भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रहरी के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय सांविधिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1993 में मानवाधिकारों के 'वॉचडाग' के रूप में हुई थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्य / भूमिका

- देश में समस्त नागरिकों / निवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दों को देखना,
- उल्लंघन पर सरकार एवं पुलिस रिपोर्ट मांगना,
- संतुष्ट होने पर जाँच कराने की शक्ति,
- समन देकर व्यक्ति को बुलाना एवं रिकॉर्ड उपस्थित कराने की शक्ति,
- सिविल न्यायालय की शक्तियों का उपयोग,
- किसी भी न्यायालय से घटना का ब्यौरा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

माँग सकता है।

→ पीड़ित को न्याय हेतु 'मुआवजा' प्रदान करने हेतु राज्य, केन्द्र से अनुशंसा,

→ विधि अनुपालन पीड़ित के लिए सुनिश्चित करना,

→ वार्षिक रिपोर्ट सरकार को सौंपना

→ नागरिकों के मामलों को अधिकाधिक निस्तारण करते हुए उनके अधिकारों का संरक्षण।

मानवाधिकार आयोग की आलोचना -

→ 'पेपर टाइगर' - इसके पास अपने आदेश प्रवर्तन कराने की शक्ति नहीं;

- मुआवजा स्वयं नहीं प्रदान कर सकता है,
- राज्यों पर अनुशंसा बाध्यकारी नहीं

→ स्टॉफ की भारी कमी - जिससे अनुसंधान आदि की गुणवत्ता काफी खराब एवं दक्षतापूर्वक

1839
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कार्य नहीं

→ केवल एक वर्ष पुराने मामले को ही दर्ज

→ जाँच आदि हेतु सरकारी मशीनरी पर निर्भरता - स्वयं का समर्पित कार्यबल नहीं;

→ सिफारिशों का निस्तारण नहीं -
↳ चार्जशीट लगाने के बाद इनकी जाँच शुरू होती है (तब तक पीड़ित के अधिकार का हनन हो चुका होता है)

→ समयबद्ध निस्तार की अनिवार्यता नहीं;

→ नियुक्ति में सरकार की अनुशंसा
⇓
पारदर्शिता एवं स्वायत्तता का अभाव

मानवाधिकार आयोग को

वित्तीय सहायता, स्टाफ भर्ती, अनुसंधान एवं जाँच सीमा, कार्यबल मुहैया कराना

आदि द्वारा प्रभावी बनाना चाहिए।

12. Discuss how the integration of information and communications technology (ICT) in the dispute resolution processes will help in overcoming the challenges associated with the functioning of courts and Alternative Dispute Resolution (ADR) forums. **(250 words) 15**

विवेचना कीजिए कि विवाद समाधान प्रक्रियाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का एकीकरण अदालतों एवं वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) मंचों के कामकाज से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने में किस प्रकार सहायता करेगा।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधुनिक न्याय प्रणाली को अधिक तीव्र एवं दक्ष बनाने में अनुकूल भूमिका निभा सकती है।

अदालतों & ADR में वर्तमान चुनौतियाँ

- मामलों का लंबित होना (NJDG - 4Cr मामले)
- कार्यबल की कमी
- अधिकाधिक निर्णय होना ⇓ एकीकृत करने एवं उपयुक्त निर्णय निर्माण में देरी
- केसों के लिस्टिंग होने की अपारदर्शी प्रणाली
- कोर्ट का अधिकरण होना ⇓ द्वितीय मामलों के फाइल होने की दर कम (जैसे - SC में नजदीकी (उत्तर) के मामले अधिक)
- केवल आदेशों आदि के पोस्ट द्वारा पहुँचने में देरी।

1839
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ICT की विवाद समाधान प्रक्रिया में सहायता -

(i) निर्णय की प्रकृति का अधिक समावेशी होना -

→ AI का उपयोग

मामलों के अधिक कुशल वर्गीकरण में उपयोगी

⇓

पिछले निर्णयों की त्वरित उपलब्धि

⇓

न्यायपालिका के समय में कमी ⇒ उत्पादकता ↑

◦ केस लोड में कमी

(ii). वर्चुअल न्यायालय -

◦ COVID में गुजरात हाईकोर्ट - I st.

⇓

महामारी में भी न्यायिक सुनवाई जारी

⇓

व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा

iii). निर्णयों का ऑनलाइन पुलिस के पास भेजना -

◦ SC में SUPACE, FASTER अनुप्रयोग,

iv). केसों की फाइलिंग -

◦ ऑनलाइन होने से ज्यादा पहुंच बढ़ेगा

⇓

मुफ्त एवं समान न्याय की दिशा में कदम

(अनुच्छेद - 39A)

i) वैकल्पिक विवाद समाधान हेतु - ऑनलाइन वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था

ii) वकीलों एवं वादी द्वारा घर से ही अपने मामले को संबोधित करना

⇓

धन एवं समय की बचत

⇓

आम आदमी के लिए न्याय सुलभ एवं वहनीय

चुनौतियाँ
- → डेटा सुरक्षा
- → निजता का मुद्दा
- → तकनीकी की निर्णय में वस्तुनिष्ठ पद्धति अपराध के पीछे मानवता को नकारती है।

न्यायिक कार्यकुशलता में प्रौद्योगिकी का उपयोग क्रांतिकारी साबित होने की क्षमता रखता है।

1839

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Despite various provisions concerning disqualification of legislators under The Representation of The People Act, 1951, the issue of criminalization of politics is still unresolved to a large extent in India. Discuss.

(250 words) 15

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत विधायकों की निरर्हता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बावजूद, भारत में राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा अभी भी काफी हद तक अनसुलझा है। विवेचना कीजिए।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (ADR) के अनुसार भारत में संसद एवं विधानमंडलों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की प्रतिशत संख्या (40%) से अधिक है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में विधायकों की निर्हता के प्रावधान

→ 2वर्ष से अधिक सजा प्राप्त दोषसिद्ध सदस्य

→ चुनावी अपराध का दोषी

→ सरकार के प्रतिष्ठानों (25% से अधिक हिस्सेदारी) में हित रखने वाला।

→ चुनावी खर्चा न जमा कर पाने की स्थिति।

→ सतीप्रथा, महिला उत्पीड़न, छुआछूत आदि में शामिल

→ चुनाव के दौरान हिंसा, धोखाधड़ी करने वालों,

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ सरकारी पद पर निष्ठा के आरोप में बर्खास्त किया गया हो
उपरोक्त की स्थिति में
राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की के साथ सलाह पर निर्हित घोषित किया जाता है।

राजनीति के अपराधीकरण की विद्यमानता –

(1) RPA, 1951 में शामिल अनेक लूपहोल'

- मर्डर, रेप का आरोपी भी दोषसिद्धि के अभाव में चुनाव लड़ सकता है।
- वर्तमान में लंबित केसों के कारण कायदा उपकार बढ़ बने हुए हैं।
- आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का विधिक स्थिति नहीं
  ||
  निर्हता का आधार नहीं,
- नेताओं एवं पुलिस का अनैतिक गठजोड़
- बुरे चरित्र वाले लोगों का राजनीति

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

से विमुखता,

→ चुनाव आयोग की शक्ति नहीं - जिससे वह आरोपियों पर निर्णय ले सके.

→ दलों के साम्प्रदायिक, हेट स्पीच आदि पर कड़ा प्रतिबंध नहीं

⇓

इन्हीं मुद्दों पर अपराधी राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं।

→ राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव,

→ दिनेश गोस्वामी समिति, चुनाव आयोग की सिफारिशों आदि पर अमल न किया जाना।

नागरिक, सरकार, न्यायपालिका एवं भारतीय निर्वाचन आयोग की क्रमशः

सक्रियता, जागरूकता | नीति निर्माण | त्वरित निर्णय | शक्ति सम्पन्नता

ही व्यापक स्वच्छ छवि वाले प्रतिनिधिक गणतंत्र का निर्माण कर सकती है।

1839
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. It is time for reforms, which recognise that urban local bodies (ULBs) need permanent, buoyant revenue sources to match the growing demands of an increasing urban population. Discuss. **(250 words) 15**

यह सुधारों का समय है जो यह पहचान करता है कि शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को बढ़ती शहरी आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए स्थायी, वृद्धिशील राजस्व स्रोतों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

2011 के जनगणना के अनुसार भारतीय शहर 30% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं 2050 तक इसके 50% (नीति आयोग) होने की सम्भावना है। (GDP में 66% से अधिक योगदान)

शहर की बढ़ती माँगे एवं महत्व -

- शहरी नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताओं शिक्षा, स्वास्थ्य उपलब्ध कराना,
- स्मार्ट शहर एवं ग्रिड, अपशिष्ट निपटान, शहरी प्लान की व्यवस्था करना,
- जलवायु अनुकूल एवं लचीले शहरों का निर्माण,
- प्रवासियों को नियंत्रित करते हुए सुविधाओं की उपलब्धता,
- स्मार्ट सिटी, अमृत योजना का क्रियान्वयन

1839
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ शहरी परिवहन में सुधार
↓
प्रदूषण की समस्या का समाधान

→ अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था
↳ जलस्तर सुधार

→ शहरी जलाशयों का संरक्षण एवं आर्द्रभूमियों को बचाना

→ हीटवेव (दिल्ली में मार्च 2022, पिछले 123 सालों में सर्वाधिक गर्म); शहरी बाढ़, चक्रवात आदि से सुरक्षा।

उपरोक्त बढ़ती आबादी के परिप्रेक्ष्य में वृद्धिशील राजस्वस्रोत की माँग करते हैं।

शहरी आय के स्रोत (ULBs)

→ 74 वां संवि. (सं.सं.) द्वारा स्थापना (243P - 243ZG)

→ संघ द्वारा - वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा (अनु. 280)

↳ राज्य अनुदान - राज्य वित्त आयोग द्वारा ULBs के लिए अनुदान मांग (अनु 243Y)

↳ स्वयं का अधिकार (अनु 243X) - प्रकाश कर, जुर्माना, मनोरंजन कर आदि

1839
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

शहरों द्वारा राजस्व स्रोत बढ़ाने के उपाय

① - शहरों को विषय स्थानांतरण बढ़ाना - अनु 243W के तहत राज्यों द्वारा 18 विषयों में 16 अधिकाधिक स्थानांतरित करना चाहिए.

② - कर अधिकार एवं क्षेत्र बढ़ाना - जिससे कर विकेन्द्रीकरण होगा।

③ शहरों को स्वायत्त बनाना - एक जिला - एक उत्पाद ; IT, सेवा क्षेत्र को शहरों का हब बनाने पर जोर,

→ कुशल मानव संसाधन, मुद्रा योजना, उधम, वित्तीय सहायता द्वारा 'नेट आय अर्जक' के रूप में रूपांतरण,

भविष्य में भारतीय शहर ग्रोथ के इंजन बनने की क्षमता रखते हैं। शहरों को गाँवों के साथ एकीकरण किया जाना चाहिए।

1839

15. The role of the civil society organisations (CSOs) in India is changing in contemporary times and has become increasingly more complex. Discuss.

(250 words) 15

समकालीन समय में भारत में नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की भूमिका बदल रही है और निरंतर अधिक जटिल होती जा रही है। चर्चा कीजिए।

नागरिक समाज संगठन वह गैर सरकारी समूह हैं जो बिना किसी स्वहित लाभ के सरकार एवं नागरिकों के बीच सेवा एवं जवाबदेहिता को बढ़ाते हैं।

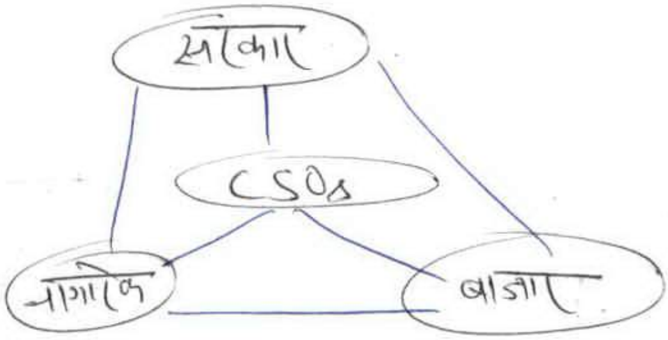

एक बेहतर, व्यवस्थित जनहित प्रेरित नागरिक समूह राष्ट्र के विकास को अधिकाधिक प्रेरित करता है।

नागरिक समाज संगठनों की पारंपरिक भूमिका -

(1). स्वयं समूह के हितों को बढ़ावा -

FICCI, किसान मजदूर संगठन आदि अपने समूह के हितों हेतु सरकार पर दबाव बनाते थे,

→ विभिन्न NGOs, स्वैच्छिक समूह, दानकर्ताओं आदि द्वारा सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद,

→ व्यापकता पूर्ण भूमिका का न होना,

→ क्षेत्र विशिष्ट नागरिक समाज संगठनों की बहुलता जैसे - छात्र समूह, किसान हित समूह, व्यापार संघ, मजदूर संघ आदि।

वर्तमान दुनिया की जटिलता एवं कोविड महामारी ने इनकी भूमिका को अधिक जटिल बना दिया है।

→ व्यापक सामाजिक - आर्थिक हित - आज यह योजनाओं के निर्माण से लेकर लाभार्थियों के पहचान के मददगार,

→ 'सबका साथ - सबका विकास - सबका विश्वास' के लक्ष्य की अनुप्राप्ति में,

→ 'डिजिटल डिवाइड' कम करना एवं 'समावेशी विकास'

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ आकांक्षियों की पहचान में

→ 'न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम शासन' के स्वप्न को साकार करने में,

→ पंचप्रण
- विकसित देश (2047 तक)
- औपनिवेशिक मानसिकता की समाप्ति
- एकता / अखंडता
- विरासत पर गर्व
- नागरिक कर्तव्य

के अनुपालन में भारत में CSOs की भूमिका प्रभावी

→ नागरिक अधिकारों की रक्षा में – ADR, PUCL आदि

→ कोविड महामारी में सेवा वितरण, निवारक उपाय, प्रवासी सहायता में महती भूमिका

रोग मुक्त, भूखमरी से रहित सशक्त भारत के निर्माण में नागरिक समाज संगठन अत्यधिक आवश्यक है।

16. Though the Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) aims to address the inequity in development in India, there are a number of issues which plague the scheme. Discuss. **(250 words) 15**

हालांकि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) का उद्देश्य भारत में विकास में असमता से निपटना है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस योजना को प्रभावित करते हैं। विवेचना कीजिए।

MPLADS योजना संसद सदस्यों को प्रतिवर्ष 5 करोड़ के खर्च की स्वायत्त मद प्रदान करके क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने का प्रावधान करती है।

MPLADS का उद्देश्य

→ प्रतिनिधियों को विकास के लिए स्वायत्तता -

- क्षेत्र के SC/ST, पिछड़ा वर्ग, अवसंरचना विकास, जल सुरक्षा, आपदा राहत आदि के लिए यह राशि प्रदान की जाती है।

→ अपने लोकसभा क्षेत्र से विशेष की कुछ हिस्सा राष्ट्रीय आपदा, SC/ST कल्याण आदि में कर सकते हैं।

→ विकास को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय करना

→ प्रत्येक जिले में आवश्यकता अनुसार करना।

योजना को प्रभावित करने वाले मुद्दे -

① निधि का अनुकूलतम उपयोग नहीं - निगरानी के अभाव में अधिकाधिक मनमाना प्रयोग
- जिला प्राधिकरण द्वारा केवल 10% के संरक्षण की आवश्यकता

② शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के अनुरूप नहीं - बगैर निर्णय, स्वीकृत के मनमाने व्यय का अधिकार।

3- एक सीमित व्यय का प्रावधान - जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग नहीं

4)- प्रशासन एवं सांसदों के बीच अनैतिक गठजोड़
↓
निधि का अकुशल उपयोग

1839
VISION IAS™
Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ CAG ने इस योजना की व्यवहार्यता पर प्रश्नचिह्न उठाते हुए इसकी समाप्ति की अनुशंसा की है।

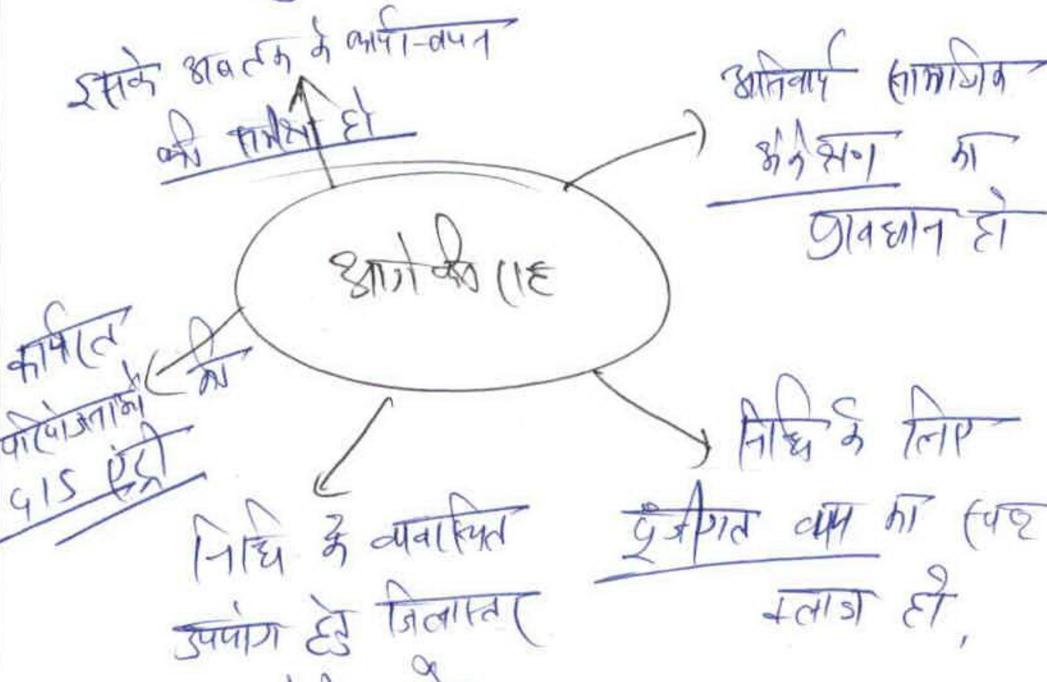

सार्वजनिक धन के कुशलतम दोहन के साथ MPLAD विकास को बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण उपकरण है।

17. Highlighting the factors responsible for the growth of EdTech sector in India in recent times, discuss its benefits. Also, state the concerns associated with it. **(250 words) 15**

हाल के दिनों में भारत में एडटेक क्षेत्रक के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालते हुए, इसके लाभों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इससे जुड़ी चिंताओं का भी उल्लेख कीजिए।

एडटेक क्षेत्रक से तात्पर्य शिक्षा प्रदान करने की पारंपरिक पद्धति (जैसे- विद्यालय, कोचिंग संस्थान) के स्थान पर तकनीकी के उपयोग द्वारा टेलीशिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा के उपयोग से है।

भारत में एडटेक क्षेत्रक काफी तेजी से उभरा है। जैसे- BYJU'S, फिजिक्स वाला आदि

एडटेक क्षेत्रक के विकास के उत्तरदायी कारक -

(1) कोरोना उत्तरदायी उद्योग के रूप में:

- एकाएक लॉकडाउन ने इस क्षेत्र में मांग ज्यादा किया
- भारत में अधिकांश FDI इस दौरान सेवा क्षेत्रक के इसी क्षेत्र IT, इलेक्ट्रॉनिक में आया।

• इसके कारण अवसंरचनात्मक विकास अधिक
⇓
शिक्षा प्रतिमानों द्वारा सस्ते दर पर शिक्षा प्रदान करना

(2) भारत में डिजिटल प्रयोग - भारत 2nd सबसे बड़ी मोबाइल यूजर

• डिजिटल घनत्व (90) < शहर - 130, गाँव - 70
(IAMAI)

3). देश की प्रतिस्पर्धा या उपलब्धता ⇒ कम रेट
⇓
छात्रों ने अधिक उपयोग किया

4). वृहद बाजार एवं युवा आबादी —
⇓
मध्यवर्ग के उपयोग तेजी से बढ़ा

एडटेक के लाभ

- शिक्षण की वैकल्पिक पद्धति जैसे - e-दीक्षा, स्वयं पोर्टल आदि
- आकस्मिक महामारी आदि में व्यवधान नहीं
- टेली शिक्षा द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार जैसे - IGNOU द्वारा
- महिला साक्षरता को बढ़ावा
- शिक्षण की आधुनिक पद्धतियों पर जोर
- कागज कम, पर्यावरण अनुकूल, स्थल उपयोग नहीं ⇒ उत्सर्जन ↓
- 'घर से शिक्षा' ⇓ बच्चों के लिए लचीलापन

ईडटेक से जुड़ी चुनौतियाँ

- डिजिटल विभाजन — कोविड में 70% बच्चे शिक्षा से दूर ⇒ 'अधिगम गरीबी' बढ़ी
- कम्प्यूटर, टैबलेट की पहुँच सर्वत्र नहीं,
- इसलिए गाँवों में तीव्र डेटा नहीं,
- कक्षा के तरह माहौल नहीं ⇒ बच्चों में भावनात्मक लगाव कम,
- 'प्रेक्टिकल', 'परीक्षणशाला' की अनुपस्थिति
- बच्चों में नेतृत्वक्षमता, सामूहिक भावना का विकास नहीं
- यह पारंपरिक शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकता।

अनुपूरक के रूप में एडटेक नई शिक्षा नीति (2020) के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण है।

18. Bring out the role of Accredited Social Health Activist (ASHA) workers in delivering health services in rural India. Also, suggest the measures that can be taken to overcome the challenges faced by them. **(250 words) 15**

ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही, उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को दूर करने के उपाय भी सुझाइए।

आशा कार्यकर्ताएँ प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कड़ियों के रूप में स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी एवं इन क्षेत्रों विशेषकर महिला प्रसूति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

ग्रामीण स्वास्थ्य में ASHA कार्यकर्ताओं की भूमिका -

स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना -

- परिवार नियोजन जानकारी प्रसार
- बिमारियों के बारे में बताना
  जैसे — कोरोना (टीकाकरण)
- महिला 'माहवारी' के प्रति स्वच्छ उपाय अपनाने पर जोर
- गर्भ निरोधक उपायों का वितरण,

महिला प्रसव का संस्थागतीकरण में सहयोग -

- NHFS-5 के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव 90% (शहरी - 95, ग्रामीण - 80%).
- गाँवों में संस्थागत प्रसव बढ़ाना
- PM मातृत्व वंदना योजना का क्रियान्वयन

→ महिला रिक्तालपता एवं जच्चा-बच्चा का टीकाकरण एवं दवा-वितरण

→ मातृ मृत्यु दर घटाने में सहायक (103/लाख)

~~वृद्धों~~ वृद्ध जनों, दिव्यांगों की स्वास्थ्य सुरक्षा में प्रभावी योगदान -

वृद्ध जन (10% NSO), दिव्यांग (2.2%)

के खुशहाल भविष्य में यह महत्वपूर्ण हो सकती है।

→ कुपोषण (16%), 5 वर्ष के नीचे मृत्यु दर (18‰) को कम करने में ~~महत्व~~ महत्वपूर्ण भूमिका

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आशा द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ & दूर करने के उपाय

चुनौती	उपाय
→ पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं • दवा, सेनेटरी नेपकिन आदि की उपलब्धता नहीं	→ अनिवार्य परीक्षण हो. • टीका लगाने, बेसिक दवा देने की सामान्य जानकारी प्रदान किया जाये
→ निर्धारित मानदेय नहीं • कार्य के प्रति उदासी • सुरक्षित भविष्य नहीं	→ नियमित वेतन की व्यवस्था हो • प्रोत्साहन राशि PM-JAY के तहत एकीकरण हो
→ कोई समर्पित संगठन नहीं	→ इनके लिए एक व्यवस्थित कैडर हो
→ वित्तीय अधिकार नहीं	→ प्रसव के दौरान आदि मामले में स्वायत्ता
→ डिजिटल उपकरण नहीं	→ डिजिटल फोन प्रदान करके ADHM के साथ जोड़ना

प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र के सुधार में आशा की भूमिका क्रांतिकारी हो सकती है।

19. Discuss the various concerns that have arisen for India after the Taliban takeover of Afghanistan. Also, suggest the measures that India should take in the given context. (250 words) 15

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर अधिकार करने के बाद भारत के लिए उत्पन्न विभिन्न चिंताओं की विवेचना कीजिए। साथ ही, उन उपायों का सुझाव दीजिए जो इस संदर्भ में भारत द्वारा अपनाए जाने चाहिए।

अगस्त, 2021 में अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से वापसी के उपरान्त वहाँ पर लोकतांत्रिक चुनी सरकार को तालिबान द्वारा (विद्रोही संगठन) तख्तापलट करते हुए शासन पर अधिकार किया गया।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- अफगानिस्तान में निवेश -
  - अफगानिस्तान में संसद निर्माण, सलमा बाँध, विद्यालय, अस्पताल, बाँध आदि में भारत का भारी निवेश है।
- चीन - पाक - AFG के गठजोड़ की आशंका - यह भारत के हितों को प्रतिकूलतः प्रभावित कर सकता है।
  - कश्मीर में घुसपैठ, अस्थिरता, आतंकी घटना
  - CPEC पर चीन का समर्थन
  - मानवाधिकारों का उल्लंघन
  - कश्मीर मुद्दे को जटिल बनाने में (क्योंकि

तालिबान (पाक का समर्थक रहा है)

- भारत - मध्य एशिया जुड़ाव -
  - शांत एवं भारत हितैषी तालिबान भारत की आवश्यकता है।

- ईरान से संबंध -
  - US प्रतिबंध के बाद भारत-ईरान सम्बन्ध में गिरावट; चीन-पाक-ईरान-तालिबान का गठजोड़ बना सकता है

⇓

- भारत की ऊर्जा सुरक्षा, चाबहार बन्दरगाह
- TAPI पाइपलाइन
- INSTC परियोजना पर प्रभाव

- कुछ देशों द्वारा तालिबान से नजदीकी -
  - रूस, चीन, पाक की नजदीकी भारत को अलग-थलग कर सकती है।

| भारत के उपाय | —

राष्ट्रीय हित के अनुकूल पारंपरिक दृष्टिकोण बदलाव -

- हमें मुखर होकर तालिबान से बात करनी चाहिए एवं सहायता आपूर्ति जारी रखना चाहिए
- टीका सहायता, खाद्यान्न आपूर्ति आदि

→ भारतीय अम्बेडकर ने कहा था – 'कोई भी राष्ट्र स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु नहीं होता है।'

→ SCO में भागीदारी के साथ तालिबान पर मानवाधिकारों व स्त्री, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए दबाव,

→ तालिबान पर नियमन हेतु वैश्विक मशीनरी UN, UNSC का उपयोग करना

→ तालिबान को भारत से इतनी सीमा के शक्ति के सम्बन्ध में जुड़ाता भारत के लिए हितकर होगी – क्योंकि यदि तालिबान अपनी सीमा भारत से जोड़ने का प्रयास करेगा तो चीन की CPEC की विफलता बढ़ सकती है।

हाल में पाक-तालिबान के बीच सम्बन्ध ज्यादा आतंक समर्थित नहीं रह दिख रहे हैं अतः तालिबान से भारत का बेहतर जुड़ाव आतंकी प्रायोजक पाक पर दबाव बनाने में महत्वपूर्ण होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Bangladesh is not only a key part of India's "Neighbourhood First policy" but also crucial for the "Act East policy". In this context, discuss the steps taken by the two countries to strengthen their relationship.

(250 words) 15

बांग्लादेश न केवल भारत की "नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी" का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, दोनों देशों द्वारा अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए।

जहाँ भारत की 'पड़ोस प्रथम नीति' अपने पड़ोसी देशों पर केंद्रित है वहीं 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' मुख्यतः आसियान देशों के साथ भारत के मजबूत सम्बन्धों पर केंद्रित है।

NFP एवं AEP में बांग्लादेश की महत्ता –

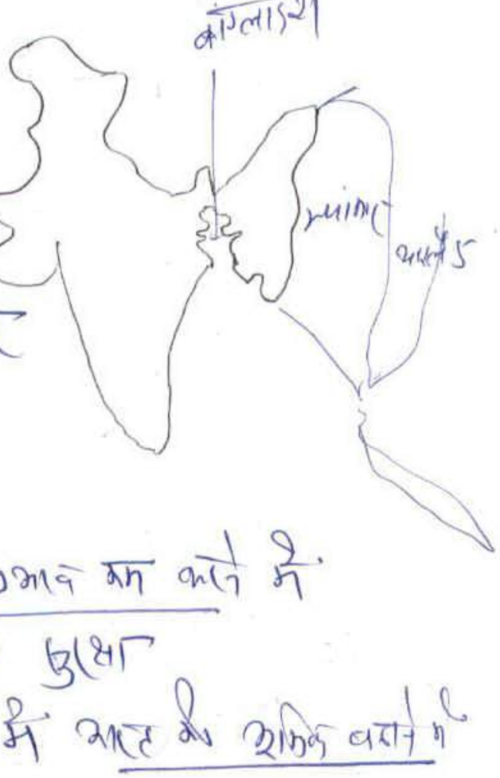

→ भारत के लिए बांग्लादेश महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है।

→ पड़ोसप्रथम नीति –

↳ चीन का प्रभाव कम करने में

- पूर्वोत्तर में शांति सुरक्षा
- दक्षिण एशिया में भारत की शक्ति बढ़ाने में
- ऊर्जा सुरक्षा एवं जल सुरक्षा
  ↳ ISA ↳ तीस्ता जल बंटवारा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- पूर्वोत्तर तक पहुँचने में
  - ढाका - अगरतला रेल लाइन

'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में -

- भारत का 'सिलिगुड़ी कॉरीडोर' के तहत पूर्वोत्तर एवं म्यांमार पहुँच दूर एवं अधिक ~~जटिल~~ ||
  अतः बांग्लादेश महत्वपूर्ण ~~कनेक्टिविटी~~ प्रदान कर सकता है।
- मल्टीमॉडल ट्रांजिट मॉडल

संबंधों को मजबूत करने में उठाए गए कदम -

भूमि ~~सीमा~~ विवाद समाधान - 2015 में 100वें संविधान (संशोधन) द्वारा ~~सीमा की वार्ता में वि~~ भूमि विवाद समझौता

BIMSTEC को मजबूत करना -

- बांग्लादेश को '~~विज्ञान~~ को 'व्यापार, निवेश' का स्तम्भ बनाना

संयुक्त सैन्य अभ्यास -

- सूर्यकिरण

व्यापार बढ़ाना - वस्त्र उद्योग जनित व्यापार को महत्वपूर्ण

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

सामीप्य

→ रेललाइन एवं बस यातायात के द्वारा जुड़ाव

→ 'बांग्लादेश भूटान – नेपाल – भारत' मोटरवाहन जुड़ाव की शुरुआत

→ अन्तर्द्वीप सीमा गठबंधन' द्वारा 'नवीकरणीय ऊर्जा' पर सहयोग

→ पूर्वोत्तर में अवैध प्रवासियों' एवं रोहिंग्या मुद्दे पर ध्यान दिया।

→ 'वैक्सीन मैत्री' के तहत बांग्लादेश को 'टीका' (कोरोना) प्रदान करना

→ फरक्का जल संधि पर बातचीत

बांग्लादेश के साथ

हाल में भारत ने 50वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर शेख मुजीबुर्रहमान के सम्मान में सिक्का जारी किया एवं संबंधों को प्रगाढ़ करने की व्यवस्था बनाई।